बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
संकल्प

विषयः– बिहार आई०टी० (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी–2024

सूचना प्रौद्योगिकी को पूरे विश्व में प्रगति एवं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में माना गया है। विगत दशक में सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं के निर्यात में भारत की सफलता सर्वविदित है। इस क्षेत्र में प्रगति की वजह से रोज़गार के कई अवसर उत्पन्न हुए हैं।

राज्य में समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास एवं लाभकारी रोजगार सृजन के लिए राज्य को आईटी/आईटीएस/ईएसडीएम कंपनियों का शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।

राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग, विकास एवं इसके अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए बिहार आई०टी० पॉलिसी–2024 को प्रतिपादित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त नीति में कई प्रकार की प्रोत्साहनों का समावेश करते हुए राज्य सरकार की आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से संबंधित भविष्य की रूपरेखा को नीति आलेख के रूप में निरूपित किया गया है।

2. बिहार आई०टी० (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी–2024 की संकल्पना :–

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा औद्योगिक निवेश, स्थिर नीतियां व पारदर्शी शासन, योजनाबद्ध अवसंरचना विकास एवं उन्नत सेवा वितरण हेतु सामर्थ्यकारी वातावरण पेश करते हुए राज्य में समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास एवं लाभकारी रोजगार सृजन हेतु राज्य के आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर राज्य को देश में आईटी/आईटीईएस कंपनियों के लिए शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना।

3 पॉलिसी की अवधि :–

यह पॉलिसी अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी तथा 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी।

4. उद्देश्य :–

i. अनुकूल औद्योगिक माहौल, उद्योग के अनुकूल स्थिर नीतियां, पारदर्शी शासन और प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध एक बड़ा प्रौद्योगिकी प्रतिभा पूल (टेक्नोलॉजी टैलेन्ट पूल) केन्द्र सुनिश्चित करके बिहार को देश में आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम कंपनियों के लिए अग्रणी निवेश स्थल के रूप में विकसित करना।

ii. वित्तीय, विनियामक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से राज्य में आईटी/आईटीईएस एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्षेत्र केन्द्रित अत्याधुनिक बुनियादी अवसंरचनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

iii. आईटी प्रक्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं एक स्थायी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रोजगारपरक कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित कार्यबल तैयार करना जो राज्य और देश की आर्थिक विकास में योगदान देने हेतु सक्षम हो सके।

iv. राज्य में आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम प्रक्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना एवं स्टार्ट–अप को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना।

5. **लक्षित क्षेत्र :–**

चुँकि राज्य सरकार का यह मानना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में आईटी/आईटीईएस एवं ईएसडीएम प्रक्षेत्र का प्रमुख योगदान है, इसलिए राज्य सरकार अपने प्रयासों को कुछ प्रमुख क्षेत्रों की ओर केन्द्रित करना चाहती है, जिन्हें उच्च विकास, लाभकारी रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि की दिशा में प्रमुख पथ–प्रदर्शक के रूप में पहचाना गया है। इस नीति के तहत प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों तक सीमित रहेगा :–

आईटी/आईटीईएस सेक्टर	ईएसडीएम सेक्टर
▪ आईटी उत्पाद, सॉफ्टवेयर और सेवाएँ ▪ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (KPO) ▪ कॉल– सेंटर्स (BPOs) ▪ सॉफ्टवेयर विकास केंद्र ▪ डिजिटल कंटेन्ट डेवलपमेंट ▪ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज ▪ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) ▪ डाटा सेंटर्स ▪ बिग डेटा और एनालिटिक्स ▪ पीसी गेमिंग, कंसोल गेमिंग, ऑनलाइन/मल्टीप्लेयर गेमिंग, मोबाइल गेमिंग, वीडियो गेम्स ▪ एनिमेशन ▪ विजुअल इफेक्ट्स या वीएफएक्स	▪ चिप निर्माण और डिजाइन ▪ कंप्यूटर या पेरिफेरल्स और अन्य कार्यालय उपकरण विनिर्माण ▪ सेमीकंडक्टर्स ▪ सर्वर और स्टोरेज डिवाइस ▪ संचार और नेटवर्किंग उपकरण ▪ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स ▪ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ▪ औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स ▪ टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ▪ स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण ▪ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएँ ▪ सौर फोटो वोल्टाइक सेल और सौर पैनल

▪ वेब–डिजाइनिंग ▪ ई–लर्निंग और ई–एजुकेशन ▪ आईटी प्लेटफॉर्म / एग्रीगेटर्स	▪ इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उपकरण और गैजेट ▪ एल ई डी ▪ एंबेडेड सॉफ्टवेयर ▪ रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ▪ सूचना, और प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ▪ ड्रोन निर्माण ▪ ई–वेस्ट रिसाईक्लिंग

* लक्षित क्षेत्र समय–समय पर बदल सकते हैं।

सूचना प्रावैधिकी विभाग उन कार्यों / गतिविधियों की एक नकारात्मक सूची तैयार करेगा जो इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए अपात्र होंगे। नकारात्मक सूची में बिजनेस डेवलपमेन्ट, बिक्री कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रशिक्षण / परीक्षा केंद्र, साइबर कैफे जैसे कार्य शामिल होंगे और समय–समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव नकारात्मक सूचियों में किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे जबकि नकारात्मक सूचियों से विलोपन सरकार की मंजूरी के उपरांत किया जाएगा।

6. पात्रता एवं संबंधित मानदंड :–

i. इस नीति की अधिसूचना के उपरांत बिहार की जीएसटी पंजीकरण लेने वाली आईटी / आईटीईएस / ईएसडीएम इकाइयों को नई इकाईयाँ माना जाएगा और वे इस पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।

ii. मौजूदा आईटी / आईटीईएस / ईएसडीएम इकाईयाँ, जिनके पास बिहार का जीएसटी पंजीकरण है तथा इस नीति की अधिसूचना के बाद इकाईयों के मौजूदा मानवबल में न्यूनतम 50% से अधिक के विस्तार के फलस्वरूप न्यूनतम 25 नये प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हो एवं इस धारा के तहत निर्दिष्ट अन्य मानदंडों (विस्तार भाग पर लागू) को भी पूरा करते हों, वृद्धिशील रोजगार के अनुरूप प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

iii. रोजगार का अर्थ है आईटी / आईटीईएस इकाईयों के लिए प्रति वर्ष 2.4 लाख की न्यूनतम सीटीसी के साथ बीई / बीटेक / एमसीए / एमबीए / सीए या समकक्ष की न्यूनतम योग्यता रखने वाले मानवबल को प्रत्यक्ष रोजगार, जबकि ईएसडीएम इकाईयों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 1.8 लाख सीटीसी के साथ आईटीआई / डिप्लोमा / बीई / बीटेक / एमसीए / एमबीए / सीए या समकक्ष न्यूनतम योग्यता। रोजगार लगातार न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिए होना चाहिए।

iv. आईटी और आईटीईएस इकाई के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष न्यूनतम टर्न ओवर 20 लाख रुपये होना चाहिए जबकि ईएसडीएम इकाई के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष न्यूनतम टर्न ओवर 50 लाख रुपये होना चाहिए।

v. इस नीति के तहत कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने चाहिए और कुल रोजगार का कम से कम 50% बिहार के स्थायी निवासियों के लिए होनी चाहिए।

vi. रोजगार के शर्त्त के अनुपालन/पूरा करने की गणना औसत वार्षिक प्रत्यक्ष रोजगार के आधार पर की जाएगी। ईपीएफ रजिस्टर के अनुसार औसत वार्षिक प्रत्यक्ष रोजगार उस वर्ष विशेष में पात्र इकाईयों द्वारा सृजित रोजगार की औसत संख्या है।

vii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाएं/दिव्यांगजन/वार विडो/एसिड अटैक के शिकार/थर्ड जेन्डर के उद्यमियों को विभिन्न प्रोत्साहनों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार अधिकतम सीमा के अन्दर 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। एससी/एसटी/महिला/दिव्यांगजन/वार विडो/एसिड अटैक के शिकार/थर्ड जेन्डर के उद्यमी के व्यक्तिगत रूप में आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयों में न्यूनतम 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम कंपनी/इकाई में निदेशक का पदधारक (या समकक्ष) होना चाहिए। निदेशक के पद में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में लाभ पाने के लिए उत्तराधिकारी को उसी वर्ग से होना चाहिए।

viii. पटना एवं दानापुर निगम क्षेत्र के बाहर स्थापित आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन अधिकतम सीमा के भीतर एवं विभिन्न प्रोत्साहनों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

ix. आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयां संबंधित मानदंडों को पूरा करने एवं सत्यापन के पश्चात् ही प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगी।

x. सभी प्रोत्साहन कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद से दिए जाएंगे और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेंगी।

xi. आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम 60% कर्मचारी बिहार में कार्यरत हों। संस्था को इस आशय का एक स्व–घोषणा उपलब्ध कराते हुए इकाई स्तर पर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मेन्टेन रखना होगा।

xii. इस पॉलिसी की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष तक स्वीकृत प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।

xiii. इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली ईकाइयाँ, केंद्र सरकार की योजनाओं के अधीन भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

xiv. इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयाँ इसी निवेश के तहत, राज्य के दूसरे नीति/योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगी तथा इसके विपरीत, राज्य के दूसरे नीति/योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने वाले इकाईयाँ उसी निवेश के लिए इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगी।

xv. इस पॉलिसी के अधीन कोई भी संवितरण वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

xvi. यूनिट द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी (यदि कोई हो) की गणना प्रोत्साहन राशि की मात्रा एवं निश्चित पूंजी निवेश को निर्धारित करते समय नहीं किया जाएगा।

xvii. पात्र प्रोत्साहन राशि निर्धारित करते समय किसी भी जुर्माने/विलंब शुल्क पर विचार नहीं किया जाएगा।

xviii. आवेदक को सभी वित्तीय प्रोत्साहनों की प्रतिपूर्त्ति , आवेदक द्वारा संबंधित प्राधिकारी/एजेंसियों को किए गए भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर की जाएगी। प्रोत्साहन की पात्र राशि के निर्धारण के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या बैंकिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के माध्यम से किए गए भुगतान हीं मान्य होंगे और नकद में किए गए भुगतान मान्य नहीं होंगे।

7. वित्तीय प्रोत्साहन :–

बिहार आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम नीति, 2024 के तहत निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन निम्नवत हैं :–

7.1 पूंजीगत निवेश सब्सिडी :–

5 करोड़ रुपये के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट (एफसीआई) वाली आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाइयों को एफसीआई पर 30% एकमुश्त कैपेक्स सपोर्ट मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये होगी। परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन केवल आरबीआई पंजीकृत वित्तीय संस्थान या बैंक द्वारा किया जाना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट (एफसीआई) में भूमि खरीद, भवन खरीद अथवा निर्माण, प्लांट और मशीनरी, स्टांप शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क (यदि कोई भुगतान किया गया हो) शामिल है।

भूमि का लागत मूल्य, भूमि को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश के 20% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, अनुमोदित परियोजना लागत में या तो बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित भूमि की वास्तविक लागत या भूमि को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश का 20%, जो भी कम हो, अनुमान्य होगा।

इस अनुदान की प्रतिपूर्त्ति कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद पांच (5) समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी।

या

II. ब्याज अनुदान :–

i. आरबीआई से पंजीकृत बैंक/वित्तीय संस्थान से इकाई द्वारा लिए गए टर्म लोन पर पात्र इकाइयों को "ब्याज अनुदान" की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी।

ii. टर्म लोन पर वास्तविक ब्याज दर या 10% तक का ब्याज दर जो भी कम हो, ब्याज अनुदान के लिए अनुमान्य होगा।

iii. बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत परियोजना पर कुल परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 40 करोड़ रुपये, जो भी कम होगी, ब्याज अनुदान के रूप में देय होगा।

iv. प्रोमोटर के द्वारा इकाई मे किए गये अंशदान पर कोई ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

v. यदि प्रमोटर इकाई के लिए कोई टर्म लोन नहीं लेते हैं, तो वे इस प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

vi. इस प्रोत्साहन की प्रतिपूर्त्ति कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद शुरू होगी और 5 वर्षों तक वार्षिक रूप से प्रतिपूर्त्ति की जाएगी।

पूंजी निवेश सब्सिडी या ब्याज अनुदान के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों में से कोई एक लाभ ही अनुमान्य होगा।

7.2 लीज रेंटल सब्सिडी :–

लीज पर लिए गए कार्यालय अथवा व्यवसायिक स्थल से संचालित होने वाली आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयों को वार्षिक लीज किराये की राशि का 50% लीज रेंटल प्रोत्साहन निम्नलिखित शर्तों के अधीन 5 वर्षों तक प्रतिपूर्त्ति किया जाएगा :

i. कार्यालय स्थल राज्य में अवस्थित होना चाहिए।

ii. प्रति कर्मचारी कार्यस्थल 100 वर्गफुट सुपर बिल्ट–अप क्षेत्र से अधिक नहीं मान्य होगा ।

iii. इस प्रोत्साहन गणना के प्रयोजन हेतु, पॉलिसी अधिसूचना वित्तीय वर्ष के लिए लीज दर 50 रुपये प्रति वर्गफुट प्रति माह तक सीमित होगी और बाद के वित्तीय वर्षों के लिए इस सीमा में सालाना 2.5 रुपये की वृद्धि की जाएगी जैसा कि नीचे उल्लेखित किया गया है :

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अधिकतम लीज दर/वर्गफुट/माह (रुपये)
1	FY 2023 -24	50
2	FY 2024 -25	52.5
3	FY 2025-26	55
4	FY 2026-27	57.5
5	FY 2027-28	60
6	FY 2028-29	62.5

*लीज डीड पंजीकृत होने चाहिए और न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।

7.3 इलेक्ट्रीसिटी टैरिफ सब्सिडी :–

आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयों के वार्षिक विद्युत विपत्र के 25% राशि की प्रतिपूर्त्ति पाँच वर्षों तक की जाएगी। इस मामले में "विद्युत विपत्र" में किसी भी लागू छूट/पेनल्टी को हटाने के बाद फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्जेज एवं इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी प्रतिपूर्त्ति हेतु शामिल होंगे।

7.4 रोजगार सृजन सब्सिडी (ईएसआई और ईपीएफ सहित) :–

नियोक्ता के द्वारा ईपीएफ एवं ईएसआई (जहाँ लागू हो) में जमा की गयी राशि की 100% प्रतिपूर्त्ति की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रु० प्रति कर्मचारी प्रति माह होगी। यह प्रोत्साहन राशि अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगी।

7.5 मेगा आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम युनिट :–

वैसी मेगा इकाईयां जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो, अथवा राज्य में कम से कम 1000 प्रत्यक्ष आईटी रोजगार का सृजन कर रही हो, टेलर मेड पैकेज के लिए पात्र होगें। टेलर मेड प्रोत्साहन, इस नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन से अतिरिक्त हो सकते हैं, जिसे केस–टू–केस बेसिस पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

8 नीति कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण :–

8.1 इस नीति के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा।

8.2 स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट क्लीयरेंस एवं डिस्बर्समेन्ट :–

8.2.1 **स्टेज-I क्लीयरेंस :** प्रथम चरण क्लीयरेंस के लिए सभी आवेदन एसआईपीबी पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता एवं निवेशक को आवश्यक मंजूरी जारी करने के लिए जांच की जाएगी। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष रखे जाने के पूर्व सभी निवेश प्रस्तावों, जिसका मूल्य 5 करोड़ रुपये तक है, की जांच अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग की अध्यक्षता में की जाएगी, जबकि 5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर निर्णय हेतु राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष रखा जाएगा। यह मंजूरी निवेशक को कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन से पहले प्राप्त करनी होगी।

8.2.2 **वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस :–**

(क) वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस का तात्पर्य किसी निवेशक को वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुरोधित/दी गई मंजूरी से है। नीति के अनुसार दिए जाने वाले प्रोत्साहन का निर्धारण इस स्तर पर तय किया जाएगा। यह मंजूरी निवेशक को स्टेज-I की मंजूरी के बाद किसी भी समय, लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन से पहले एक नए आवेदन के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।

(ख) 5 करोड़ रुपये और उससे कम के निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जबकि, 5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए आवेदन राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष रखे जाएंगे एवं एसआईपीबी निवेश प्रस्ताव पर लागू प्रोत्साहन राशि की मात्रा की सिफारिश करेगा।

(ग) वित्तीय प्रोत्साहनों पर अंतिम अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार होंगे :

पात्र निवेश प्रस्ताव	सक्षम पदाधिकारी
5 करोड रुपये या उससे कम	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग
5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 15 करोड़ रुपये तक	माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग
15 करोड़ रुपये से अधिक एवं 30 करोड़ रुपये तक	माननीय मंत्री, वित्त विभाग एवं माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से
30 करोड़ रुपये से अधिक	मंत्रिपरिषद्

8.2.3 **वित्तीय प्रोत्साहन राशि का वितरण :–** वित्तीय प्रोत्साहन वितरण हेतु राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा किया जाएगा।

9 आवेदक इकाइयों को कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन शुरू होने के 15 दिनों के भीतर सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार को इस बारे में सूचित करना होगा। सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार इसका सत्यापन करेगा और कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन प्रमाणपत्र जारी करेगा। वित्तीय प्रोत्साहन राशि के वितरण के समय भी और आवश्यकता पड़ने पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद कभी भी सत्यापन किया जा सकता है।

10 सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा इस नीति को लागू किया जाएगा।

11 नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक, इस नीति और सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अन्य लागू नीतियों के लिए समय–समय पर जारी शर्त्तों, प्रक्रियाओं, निर्देशों, स्पष्टीकरण या संशोधन के अधीन होंगे।

12 सूचना प्रावैधिकी विभाग का निवेश संवर्धन एवं सुविधा सेल (इनवेस्टमेंट प्रोमोशन एण्ड फैसिलिटेशन सेल)/प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) नीति के कार्यान्वयन में सहयोग करेगा।

13 नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी मामलों में बाध्यकारी तथा अभिप्रभावी होगा।

14 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 08.01.2024 को मद् संख्या–16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/1/24

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT 78 पटना, दिनांक 09/1/24

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष संस्करण में प्रकाशित करने के लिए। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियां मुद्रित करें तथा इस विभाग को उपलब्ध कराएं।

9/1/24

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT 78 पटना, दिनांक 09/01/24

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9/1/24

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ...78... पटना, दिनांक 09/1/24

प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/24

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ...78... पटना, दिनांक 09/1/24

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/24

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ...78... पटना, दिनांक 09/1/24

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

9/1/24

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ...78... पटना, दिनांक 09/1/24

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

9/1/24

सरकार के सचिव।

अनुलग्नक

List of Abbreviations/**संक्षेपाक्षर की सूची**

Abbreviations/ संक्षेपाक्षर	Full Form	फुल फॉर्म
IT/आईटी	Information Technology	सूचना प्राद्यौगिकी
ITeS/ आईटीएस	IT Enabled Service	सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ
ESDM/ ईएसडीएम	Electronic System Design and Manufacturing	इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग
GSDP/ जीएसडीपी	Gross State Domestic Product	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
KPO/ केपीओ	Knowledge Process Outsourcing	नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग
BPO/ बीपीओ	Business Process Outsourcing	बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
IoT/ आईओटी	Internet of Things	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
LED/ एलईडी	Light Emitting Diode	लाईट इमीटिंग डायोड
VFX/ भीएफएक्स	Visual Effects	विजुअल इफेक्ट
CTC/ सीटीसी	Cost to Company	कोस्ट टू कंपनी
PC/ पीसी	Personal Computer	पर्सनल कम्प्यूटर
GST/ जीएसटी	Goods and Services tax	गुड एण्ड सर्विस टैक्स
SC/ एससी	Scheduled Cast	अनुसूचित जाति
ST/ एसटी	Scheduled Tribe	अनुसूचित जनजाति
EBC/ ईबीसी	Extremely Backward Class	अति पिछड़ा वर्ग
BC/ बीसी	Backward Class	पिछड़ा वर्ग
FCI/ एफसीआई	Fixed Capital Investment	फिक्सड कैपिटल इन्वेस्टमेंट
Cr./ सीआर	Crore	करोड़
INR/ आईएनआर	Indian National Currency	भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा
Sq. ft./ एसक्यूएफटी	Square Foot	स्क्वायर फुट
DIT/ डीआईटी	Department of Information Technology	सूचना प्रावैधिकी विभाग
ACS/ एसीएस	Additional Chief Secretary	अपर मुख्य सचिव
PMU/ पीएमयू	Project Management Unit	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट
EPF/ इपीएफ	Employee Provident Fund	एम्प्लाई प्रोविडेन्ट फंड
ESI/ इएसआई	Employee State Insurance	एम्प्लाई स्टेट इन्श्योरेन्स
SIPB/एसआइपीबी	State Investment promotion Board	स्टेट इंवेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड
GoB/ जीओबी	Government of Bihar	बिहार सरकार
ITI/ आईटीआई	Industrial Training Institute	इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट
MCA/ एमसीए	Master of Computer Application	मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन
BTech/ बीटेक	Bachelor of Technology	बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी
RBI/ आरबीआई	Reserve Bank of India	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
MBA/ एमबीए	Master of Business Administration	मास्टर ऑफ बिजनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन

Government of Bihar
Department of Information Technology

Resolution

Subject :- Bihar IT (Information Technology) Policy – 2024

IT Sector has been recognised as a robust medium for growth and development in whole world. In last decade, India is well known for its success in export of IT and IT related services. Growth of IT industry has resulted into many job opportunities.

State Govt. is determined to develop the state as a top investment destination of IT/ITes/ESDM companies for inclusive Social-economic development and generation of gainful employment in the state.

To promote maximum use of IT for development and its multiplier effect on economy, Government of Bihar has decided to formulate Bihar IT Policy 2024. State Government has formulated this policy as a blueprint for future development of IT & Electronics Sector in the state by offering multiple incentives.

2. Vision :-

"To develop the IT/ ITeS and ESDM industry of the State for inclusive socio-economic growth and gainful employment generation, and to emerge as the next investment destination for IT/ ITeS companies in the country, while offering an enabling environment for industrial investments, stable policies and transparent governance, strategic infrastructure development, and enhanced service delivery by effective use of information technology".

3. Policy Period :-

Bihar IT (Information Technology) Policy – 2024 will be effective from the date of notification. The said date shall be considered as effective date of this policy from which its provisions shall come into force and shall be applicable for 5 years.

4. Objective :-

i. To promote Bihar as one of the leading investment destinations for IT/ ITeS and ESDM companies in the country by ensuring a congenial industrial climate, stable policies that are industry-friendly, transparent governance, and a large technology talent pool available at competitive rates.

ii. To develop a sector-focused state-of-the-art infrastructure ecosystem in the State through a slew of financial, regulatory and institutional reforms.

iii. To create opportunities for gainful employment of the youth in the sector, enhancing their employability, and developing a sustainable skill ecosystem wherein the workforce is equipped with employable skills and knowledge to be able to contribute to the economic growth of the State and the country.

iv. To build a strong eco-system for nurturing innovation in the State and empower Startups to grow across domains in the IT/ ITeS and ESDM sector.

5. Focus Areas

As the State recognizes the significance of the IT/ ITeS and ESDM sector as major contributor towards the State economy, the State Government wishes to channelize its efforts towards certain key areas that have been identified as major avenues towards high growth, gainful employment generations, and income augmentation while leveraging the traditional strengths and strategic advantages of the State. Incentive under this policy shall be restricted to following focus areas:

IT/ITeS Sector	ESDM Sector
IT Products, Software and Services	Chip Manufacturing and Design
Knowledge Process Outsourcing (KPO)	Computer or peripherals and other Office Equipment manufacturing
	Semiconductors
Call-Centres (BPOs)	Server and storage devices
Software Development Centres	Communication and Networking devices
Digital content Development	Automotive electronics
Smart Technologies	Medical Electronics
Internet of Things (IoT)	Industrial Electronics
Data Centres	Telecom electronics
Big Data and Analytics	Strategic electronics and devices
PC Gaming, Console Gaming, Online/ Multiplayer Gaming, Mobile Gaming, Video Games	Electronic manufacturing services
	Solar Photo Voltaic cells & Solar Panels
	Electronic consumer Devices & Gadgets
Animation	LEDs

Visual Effects or VFX	Embedded software
Web-Designing	Defence electronic equipment
E-Learning and E-Education	Information, and broadcasting electronic devices.
IT Platform/Aggregators	Drone Manufacturing
	E-waste Recycling

* The focus areas may change from time to time.

Department of IT shall prepare a negative list of functions/activities which shall not be eligible for incentives under this policy. The negative list shall include functions such as Business Development, Sales Office, Common Service Centers, Training/Exam centers, Cyber cafes and may be amended from time-to-time. Department Secretary shall be the competent authority for any addition in negative lists whereas deletion from negative lists shall be done as per approval of Government.

6. Eligibility and Related Criteria

i. IT/ITeS/ESDM units having GST registration of Bihar post notification of this policy shall be considered as New Units and shall be eligible for the incentives under this Policy.

ii. Existing IT/ITeS/ESDM units having GST registration of Bihar and with minimum expansion over and above 50% of existing manpower subject to minimum 25 fresh direct employment post notification of this policy and also fulfil other criteria (applicable on expansion part) as specified under this section, shall be eligible to avail incentives corresponding to incremental employment.

iii. Employment means direct employment of manpower having minimum qualification of BE/BTech/MCA/MBA/CA or equivalent with minimum CTC of 2.4 lakhs per annum for IT/ITeS units whereas minimum qualification for ESDM units shall be ITI/Diploma/BE/BTech/ MCA/MBA/CA or equivalent with minimum CTC of 1.8 lakhs per annum. Employment must be for a minimum continuous period of 6 months.

iv. The minimum turnover per employee per annum for the IT & ITeS unit must be INR 20 lakh whereas minimum turnover per employee per annum for the ESDM unit must be INR 50 lakh.

v. To avail any benefits under this policy, minimum 25 direct employment must be generated and at least 50% of total employment must be for persons having permanent domicile of Bihar.

vi. The fulfilment of employment condition would be determined on the basis of Average Annual direct employment generated. Average annual direct employment is average number of employments generated by the eligible units in that particular year as per EPF register.

vii. Additional 5% incentives shall be provided to SC/ST/BC /EBC/Women/Divyangjan/War Widow/Acid Attack Survivors/Third genders Entrepreneurs as per eligibility criteria laid down under various incentives. The individual SC/ST/Women/Divyangjan/War Widow/Acid Attack Survivors/Third genders Entrepreneur must have minimum 51% of shareholding in the IT/ITeS/ESDM Units and should hold Director(or Equivalent) position in IT/ITeS/ESDM company/entity. In case of change in Director, the successor should also be from same category to avail the benefit.

viii. Additional 10% incentives shall be provided to IT/ITeS/ESDM Units established outside Patna and Danapur Municipal area as per eligibility criteria laid down under various incentives.

ix. IT/ITeS/ESDM Units shall only be eligible for incentives upon fulfilment of respective criteria and subject to verification.

x. All incentives shall be applicable after commercial production/operation and till maximum period of 5 years.

xi. IT/ITeS/ESDM units shall have to ensure that minimum 60% of employees must be stationed in Bihar. The organization must provide a self-declaration and maintain biometric records at the unit level.

xii. Applicable incentives shall be disbursed up to 5 years from the date of end of this policy.

xiii. Dovetailing with Central government Schemes shall be allowed.

xiv. Units which have availed benefits under this policy shall not be eligible to avail benefits for same investment under any other policy/scheme of the State and vice versa.

xv. Any disbursement in this policy shall be made on yearly basis.

xvi. GST paid (if any) by the unit shall not be considered to determine the eligible incentive quantum and eligible fixed capital investment.

xvii. Any penalty/late fees shall not be considered to determine the eligible incentive quantum.

xviii. For all the financial incentives, reimbursements to the applicant will be done on submission of proof of payment made by the applicant to the concerned authority/agencies. Payment done through Electronic Fund Transfer or Banking instruments shall only be considered and payment made in cash shall not be considered for determination of eligible amount of incentives.

7. Fiscal Incentives

The financial incentives for investors under Bihar IT/ITeS/ESDM Policy, 2024 are as below:

7.1 Capital Investment Subsidy:

The eligible IT/ITeS/ESDM units with minimum Fixed Capital Investment (FCI) of INR 5 Crores shall be entitled for One time Capex support of 30% on the FCI incurred by such Units upto a maximum limit of INR 30 Cr. The Project proposal must be appraised by RBI registered Financial Institution or Scheduled Bank only.

Fixed Capital Investment includes Land Purchase, Building purchase/Construction, Plant & Machinery, Stamp duty and land conversion fee, if any, paid.

For Financial incentive calculation purpose, the cost of land shall not exceed a limit of 20% of the total proposed investment other than the land. Thus, in the approved project cost either the actual cost of land mentioned in the project report assessed by the scheduled commercial bank/ registered financial institutions or 20% of the total proposed investment excluding the land, whichever is less, will be considered.

The incentive shall be reimbursed in Five (5) equal annual instalments post commercial production/operation.

OR

II. Interest Subvention Subsidy:

a. State shall reimburse "Interest Subsidy" to the eligible units on the term loan availed by the unit from the RBI registered bank/ financial institution.

b. Rate of interest for interest subvention will be 10% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower.

c. The overall limit of this subvention will be 50% of the approved project cost as approved by Bank/Financial Institutions or INR 40 Cr, whichever is lower.

d. Interest shall not be paid on promoter's contribution in any form in the unit.

e. In case the promoters do not avail any term loan for the unit, they would not be eligible for this incentive.

f. The reimbursement of incentive shall commence post commercial production/operation and shall be reimbursed annually for 5 years.

Applicant shall have to choose any one of the benefits under sub-head Capital Investment Subsidy or Interest Subvention.

7.2 Lease Rental Subsidy:

Eligible IT/ITES/ESDM units operating from leased office/commercial space shall be reimbursed Lease Rental incentive of 50% of the Lease rental amount paid and will be provided for a period of five (5) years, subject to following conditions:

a. The Office space should be located in the state.

b. Per employee office space should not be considered more than 100 sqft of super built-up area.

c. For the purpose of this incentive calculation, lease rate shall be limited to INR 50 per sqft per month for the policy notification financial year and this limit shall be increased by INR 2.5 every financial year as mentioned below:

S.No	Financial Year	Limit on Lease rate/sqft/month(INR)
1	FY 2023 -24	50
2	FY 2024 -25	52.5
3	FY 2025-26	55
4	FY 2026-27	57.5
5	FY 2027-28	60
6	FY 2028-29	62.5

* Registered Lease deed shall be required and lease deed should be for a minimum period of 5 years.

7.3 Power Tariff Subsidy:

Eligible IT/ITeS/ESDM units will be provided annual reimbursement of 25% of the Energy bill for a period of five (5) years. The "Energy bill" in this case is comprised of the Fixed charges, Energy Charges and Electricity Duty excluding any applicable discount/late payment.

7.4 Employment Generation Subsidy (Inclusive of ESI & EPF)

The State will provide 100% reimbursement on account of employer's contribution towards EPF and ESI(wherever applicable) subject to a maximum limit of INR 5000 per employee per month for a period of five (5) years.

7.5 Mega IT/ITeS/ESDM Units:

Mega Enterprises, projects with an investment above INR 100 crores or generating a minimum of 1000 direct employment on its payroll in the state, shall be eligible for tailor-made package of incentives. This may be over and above the benefits provided under this Policy and will be considered by the Government on a case-to-case basis.

8. Policy Implementation & Monitoring

8.1 The Department of Information Technology, Govt. of Bihar will issue detailed implementation guidelines to achieve the goals and objectives of this Policy.

8.2 Stage of Project Clearance and Disbursement

8.2.1 ***<u>Stage 1 Clearance</u>*****:** All the applications shall be accepted through state SIPB portal for Stage I clearance wherein the proposed project would be examined for feasibility and issuance of necessary approval to the investor. The IT department shall examine all the investment proposals and those worth up to INR 5 Cr. shall be placed before the SIPB Secretariat, which would be presided by the Additional Chief Secretary (ACS) /Principal Secretary/Secretary, Department of Information Technology, whereas investment proposal more than INR 5 Cr., shall be placed before the State

Investment Promotion Board (SIPB) for a decision. This clearance has to be obtained by investor before commercial production/operation.

8.2.2 ***Financial Incentive Clearance*:**

a. Financial Incentive clearance refers to the clearance requested/accorded to an investor for availing financial incentives. The quantum of incentives to be given shall be decided at this stage as per the Policy. This clearance must be obtained by investor any time after Stage I clearance but before commercial production/operation through a fresh application.

b. Financial Incentives clearance for investment of ₹5 Crore and less shall be approved by the ACS/Principal Secretary/Secretary, Department of IT, Whereas the applications for investment more than ₹5 Crores shall be placed before the SIPB and the SIPB shall recommend the quantum of incentives applicable to the investment proposal.

c. The competent authority to accord final approval on Incentives shall be as follows:

Eligible Investment size	Competent authority
Up to ₹ 5 Crore	ACS/ Principal Secretary/ Secretary, Department of IT
More than ₹ 5 Crore and up to a limit of ₹ 15 Crore	Minister, Department of IT
More than ₹ 15 Crore and up to a limit of ₹ 30 Crore	Jointly by the Minister, Department of IT and Minister, Department of Finance
More than ₹ 30 Crore	Cabinet

8.2.3 ***Financial Incentives Disbursement*:** The amount of Financial Incentives for disbursement shall be approved by Additional Chief Secretary (ACS) /Principal Secretary/Secretary, Department of Information Technology, Govt. of Bihar.

9. Applicant Units shall inform the Department of Information technology, GoB about commencement of commercial production/operation within 15 days. DIT shall verify the same and issue commercial production/operation certificate. Verification shall also be done at time of disbursal and as and when required after commercial production/operation.

10. The Department of Information Technology shall implement this policy.

11. The applicant availing benefits under the Policy shall be subject to the conditions, procedures, instructions, clarifications or amendments issued, from time to time, for this policy and other applicable policies issued by Department of Information Technology, Government of Bihar.

12. The Investment Promotion & Facilitation Cell/Project Management Unit (PMU) of the Department of IT shall support the implementation of the Policy.

13. In case of any discrepancy in the meaning and interpretation of the translated version of this policy, the English language version shall be binding in all respect and shall prevail.

14. The proposal has been approved by the Cabinet on 08.01.2024 as item number-16.

By the order of the Governer of Bihar

9/1/24
(ABHAY KUMAR SINGH)
Secretary
Dept. of Information Tecnology

Memo No.- F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ....78..... Dated 09/01/24

Copy to :- The Superintendent, State Printing Press, Gulzarbagh, Patna to publish in the special edition of Bihar Gazette. It is requested to print 1000 copies of the published gazette and make it available to the Department.

9/1/24
Secretary

Memo No.- F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ....78..... Dated 09/01/24

Copy to :- Principal Secretary of Chief Minister, Bihar/OSD to Chief Secretary, Bihar, Patna/P.S.S to Development Commissioners, Bihar, Patna for information.

9/1/24
Secretary

Memo No.- F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ....78..... Dated 09/01/24

Copy to :- All Additional Chief Secretary/All Principal Secretary/All Secretary/All Heads of Departments, Bihar, Patna.

9/1/24
Secretary

Memo No.- F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ....78....... Dated ..09/01/24..

Copy to :- All Divisional Commissioners/Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/All District Magistrate/All Deputy Development Commissioners, Bihar for information and necessary action.

Secretary 9/1/24

Memo No.- F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ..78....... Dated ..09/01/24.

Copy to :- The Accountant General (Accounts & Title), Bihar, Patna/ All Treasury Officer, Bihar, for information and necessary action.

Secretary 9/1/24

Memo No.- F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT ....78...... Dated ....09/01/24.

Copy to :- IT Manager, Department of Information Technology, Bihar, Patna for uploading the copy of the resolution on the Departmental Website.

Secretary 9/1/24

Enclosure

List of Abbreviations

Abbreviations	Full Form
IT	Information Technology
ITeS	Information Technology enabled Services
ESDM	Electronic System Design and Manufacturing
GSDP	Gross State Domestic Product
KPO	Knowledge Process Outsourcing
BPO	Business Process Outsourcing
IoT	Internet of Things
LED	Light Emitting Diode
VFX	Visual Effects
CTC	Cost to Company
PC	Personal Computer
GST	Goods and Services tax
SC	Scheduled Cast
ST	Scheduled Tribe
EBC	Extremely Backward Class
BC	Backward Class
FCI	Fixed Capital Investment
Cr.	Crore
INR	Indian National Currency
Sq. ft.	Square Foot
DIT	Department of Information Technology
ACS	Additional Chief Secretary
PMU	Project Management Unit
EPF	Employee Provident Fund
ESI	Employee State Insurance
SIPB	State Investment promotion Board
GoB	Government of Bihar
ITI	Industrial Training Institute
MCA	Master of Computer Application
BTech	Bachelor of Technology
RBI	Reserve Bank of India
MBA	Master of Business Administration